न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री निकया गोहाएन, आई0ए0एस0

मि0नं0 04 /अपील (आर0टी0आई)/2020

सुरेश कुमार मोमियां,पुरानी तहसील के पास झालरापाटन (अपीलान्ट)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार झालरापाटन (अप्रार्थी)
अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::– दिनांक: 20.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई। इससे अप्रसन्न होकर अपील पेश की है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार झालरापाटन को दिनांक 20.08.2020 को आवेदन पत्र भिजवाया जाकर निम्न सूचना चाही गई थी– सन 2010 से लेकर वर्तमान राज्य सरकार व जिला कलेक्टर या अन्य आदेश के मुताबिक झालरापाटन नगर पालिका को आबादी या अन्य उपयोग के लिये दी गई भूमि का खसरा न0, क्षेत्रफल,स्थान तथा इस(नक्शे)की छाया प्रतियां व आदेश की छाया प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। किन्तु उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार झालरापाटन् को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस में उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। व इसी तरह अपीलान्ट को भी दिनांक 20.10.2020 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

लोक सूचना अधिकारी प्रत्यर्थी तहसीलदार झालरापाटन् की और से पत्रांक: 5443/भू. अभि./20 दिनांक 15.10.20 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्रांक 4978/भू.अभि./20 दिनांक 18.09.20 से सूचना प्रश्नात्मक एवं अस्पष्ट होने से पटवारी झालरापाटन से सम्पर्क कर रेकार्ड का अवलोकन कर सत्य प्रतिलिपियां किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नियमानुसार प्राप्त करने बाबत लिखा जाकर सूचना तत्समय ही अपीलार्थी को तामील करवादी गई थी।

अपीलार्थी अनुपस्थित है। तहसीलदार झालरापाटन या उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार झालरापाटन द्वारा पत्रांक 5443/भू.अभि./20 दिनांक 15.10.20 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्रांक 4978/भू.अभि./20 दिनांक 18.09.2020 से सूचना प्रश्नात्मक एवं अस्पष्ट होने से पटवारी हल्का झालरापाटन से सम्पर्क कर रेकार्ड का अवलोकन कर सत्य प्रतिलिपियां किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नियमानुसार प्राप्त करने बाबत लिखा जाकर सूचना तत्समय ही अपीलार्थी को तामील करवादी गई थी। अपने पत्र के साथ पत्रांक 4978 की प्रति भी संलग्न की गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई है वह प्रश्नात्मक होने के साथ ही अस्पष्ट होने से उपलब्ध नही कराई जा सकती थी। यंहा हम स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी का कार्य सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना नही है, लोक सूचना अधिकारी केवल उपलब्ध सूचना को प्रकट करने के लिये बाध्य है। इस प्रकार अपीलार्थी वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु संबन्धित पटवारी हल्का झालरापाटन से सम्पर्क कर रेकार्ड का अवलोकन कर सत्यापित प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलान्ट दौराने सुनवाई आज न्यायालय हाजा में भी उपस्थित नही हुए है इससे यह भी स्पष्ट कि अपीलान्ट को वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः पत्रावली की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया ।

(निकया गोहाएन)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड
दिनांक 20.10.20

कमांक: 206-07/रीडर/20
प्रतिलिपी:–
01.लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार झालरापाटन
02. सुरेश कुमार मोमियां,पुरानी तहसील के पास झालरापाटन,झालावाड

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड